UPCH010036792022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0ऐक्ट/,
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, चित्रकूट ।
उपस्थितः–राहुल मिश्रा........एच0जे0एस0 (जे0ओ0कोड–यू0पी0 2726)

सत्र परीक्षण सं0–743/2022
उ0प्र0राज्य।

..........................अभियोजन

बनाम

राजा उर्फ जागेश्वर पुत्र देशराज निवासी बंधामोड़ रैपुरा, थाना रैपुरा, जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

..........................अभियुक्त

अन्तर्गत धारा–08/20 स्वापक औषधि
एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम।
थाना–रैपुरा, जनपद चित्रकूट।
अपराध संख्या–187/2022

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण में अपराध संख्या–187/2022, धारा–08/20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, थाना रैपुरा, जनपद चित्रकूट में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 25.10.2022, अन्तर्गत धारा 08/20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम विरूद्ध राजा उर्फ जागेश्वर से उत्पन्न प्रकरण की विवेचना के पश्चात् तैयार आरोप–पत्र संख्या 128/2022, दिनांक 17.11.2022 अन्तर्गत धारा–08/20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के आधार पर यह सत्र परीक्षण वाद अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर के विरुद्ध चला है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 25.10.2022 को उपनिरीक्षक रमेश सिंह यादव हमराह आरक्षी दीपक श्रीवास्तव, आरक्षी नन्दलाल के जीप सरकारी नं0 यू0पी0 96 जी0–0101 चालक प्राइवेट के बिनावर देखभाल क्षेत्र, शान्ति व्यवस्था व तलाश वांछित वारण्टी व हवाले रपट न0 9 समय 07.48 बजे रवाना होकर बाँधी तिराहे पर मामूर थे कि जरिये मुखवीर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक थैले में अवैध गाँजा लेकर गुन्ता वाँध रोड से पैदल पैदल बंधा मोड़ रैपुरा के तरफ आ रहा है यदि आप लोग जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता है मुखवीर खास की बात पर विश्वास कर वह पुलिस वाले आपस में जामा तलाशी ले देकर इत्मिनान किये कि किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नही है, और

दिनांकः–12.08.2026

(राहुल मिश्रा)
विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0ऐक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2726

Digitally signed by Rahul Mishra
Date: 2026.08.12 15:16:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मुखवीर खास द्वारा बताये गये रास्ते की ओर तरफ चल दिये जैसे वह पुलिस जीप से बंधा मोड़ पहुँचे एक व्यक्ति अपने हाथ में थैला लिये पैदल चला आ रहा है और पुलिस जीप को देखकर पीछे मुड़कर जाने लगा, जिसे तेजी व चटकी से नजदीक पहुँचकर रोका व टोका गया और पीछे मुड़कर जाने का कारण पूछा गया और नाम पता पूछा गया, तो उसने अपने पास गाँजा होने के कारण पुलिस देखकर पीछे जाने तथा अपना नाम राजा उर्फ जागेश्वर पुत्र देशराज उम्र करीब 28 वर्ष निवासी बंधा मोड़ रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट बताया जिसे समय करीब 10.00 बजे बंधा मोड पर पकड़ लिया गया और बताया गया कि तुम्हारी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष होगी इन्तजार करना होगा, तो कहा कि साहब आपने मुझे पकड़ लिया है आप ही तलाशी ले–ले किसी के आने का इन्तजार न करे, मेरे पास गाँजा ही है मुझे आप पर विश्वास है अगर चाहे तो सहमति पत्र लिख ले हम हस्ताक्षर बनाते है तो वह पुलिस वाले सहमति पत्र लिखकर पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर बनवाकर, वाजाफ्ता नियमानुसार पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो उसके दाहिने हाथ में लिये थैले में सूखा गाँजा बरामद हुआ गाँजा की मात्रा जांच करने के लिए आरक्षी नन्दलाल से रैपुरा बाजार से तराजू बाट मंगाकर तौल की गयी तो थैले में एक किलो 600 ग्राम सूखा गाँजा निकला, तराजू बाट अलग कराकर मुल्जिम से इतनी अधिक मात्रा में गाँजा रखने का विधिक प्रपत्र माँगा गया तो गलती की मांफी मांगने लगा, पूछने पर कि यह गाँजा कहाँ से लाये कहाँ ले जा रहे थे तो मौन रहा। अभियुक्त का यह जुर्म धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट की हद को पहुँचता है अतः कारण गिरफ्तारी बताकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए हिरासत पुलिस व बरामद माल कब्जा पुलिस लिया गया बरामद गाँजा को, बतौर नमूना 100 ग्राम अलग कर तथा एक किलो 500 ग्राम अलग दो नग सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाये गये, फर्द व व मेमो गिरफ्तारी मौके पर बनाया गया गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के द्वारा बताये गये मो० नम्बर पर उसके परिजनो को दी गयी तथा गिरफ्तारी व बरामदगी की सूचना जरिये मो०न० उच्चाधिकारियों को दी गयी। आने जाने वाले लोगों से गवाही को कहा गया तो भलाई बराई के चलते कोई तैयार नही हुआ, फर्द पढ़कर सुनाकर गवाही गवाहान हमराहीआन हस्ताक्षर बनवाये गये।

3. थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट में फर्द बरामदगी के आधार पर दिनांक 25.10.2022 को समय 12.16 बजे अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट कम्प्यूटर पर दर्ज करायी गयी और उससे सम्बंधित प्रविष्टि थाने की जनरल डायरी में रपट नं0–19, दिनांक 25.10.2022, समय 12.16 बजे कम्प्यूटर पर उसी समय अंकित करायी गयी। तत्पश्चात् मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

4. प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर स्थल का मानचित्र तैयार किया गया। साक्षियों तथा अभियुक्त के बयान अंकित किये। संकलित साक्ष्य के आधार पर विवेचना के उपरान्त अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर के

विरुद्ध धारा—08 / 20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के अन्तर्गत आरोप—पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. दिनांक 15.12.2022 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / एफ0टी0सी0 चित्रकूट द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया।

6. अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर के विरुद्ध दिनांक 03.01.2023 को धारा—08 / 20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया तथा आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इनकार किया और परीक्षण की मांग की।

7. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी निम्नवत हैः—

क0 सं0	**साक्षी का नाम**	**साक्षी संख्या**	**साक्ष्य दिनांक**	**प्रदर्शित किया गया है।**
1	वादी मुकदमा उपनिरीक्षक रमेश सिंह यादव	1	05.03.2024	फर्द बरामदगी अवैध गांजा 01 किलो 600 ग्राम दिनांकित 25.10.202 **प्रदर्श क—1,** गिरफ्तारी मेमो **प्रदर्श क—2,** गांजा **वस्तु प्रदर्श—01,** नमूना **वस्तु प्रदर्श—02**
2	विवेचक सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक शिवकुमार त्रिपाठी	2	06.11.2025	नक्शा नजरी **प्रदर्श क—3,** आरोप पत्र सं0—128 / 2022, दिनांक 17.11. 2022 **प्रदर्श क—4,** विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट **प्रदर्श क—5**

8. अभियोजन द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज निम्नवत हैः—

क0 सं0	**दस्तावेज**	**प्रदर्शित किया गया है।**	**किस साक्षी ने प्रदर्शित किया है।**
1	प्रदर्श क—1	फर्द बरामदगी अवैध गांजा 01 किलो 600 ग्राम दिनांकित 25. 10.202	पी0डब्लू01 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक रमेश सिंह यादव
2	प्रदर्श क—2	गिरफ्तारी मेमो	पी0डब्लू01 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक रमेश सिंह यादव
3	प्रदर्श क—3	नक्शा नजरी	पी0डब्लू02 विवेचक सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक शिवकुमार त्रिपाठी
4	प्रदर्श क—4	आरोप पत्र सं0—128 / 2022, दिनांक 17.11.2022	पी0डब्लू02 विवेचक सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक शिवकुमार त्रिपाठी
5	प्रदर्श क—5	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट	पी0डब्लू02 विवेचक सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक शिवकुमार त्रिपाठी

9. अभियोजन द्वारा प्रदर्शित वस्तु प्रदर्श निम्नवत हैः—

क0 सं0	**प्रदर्श**	**प्रदर्शित किया गया है।**	**किस साक्षी ने प्रदर्शित किया है।**
1	वस्तु प्रदर्श—1	गांजा	पी0डब्लू01 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक रमेश सिंह यादव

2	वस्तु प्रदर्श–2	नमूना	पी0डब्लू01 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक रमेश सिंह यादव

10. पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, फाफामऊ (शांतिपुरम) प्रयागराज की रिपोर्ट कागज संख्या–18क उपलब्ध है।

11. अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन कथानक को झूठा साक्ष्य देना तथा गलत गवाही देना तथा झूठा मुकदमा चलना बताया गया, तथा अपने विरुद्ध मुकदमा झूठा चलना कहा गया, सफाई साक्ष्य देने से इनकार किया तथा अतिरिक्त कथन में कहा है कि मैं निर्दोष हूं।

12. अभियोजन द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस केस में अभियुक्त के पास से 01 किलो 600 ग्राम गांजा नाजायज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, गश्त भ्रमण, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व रोकथाम जुर्म जरायम के दौरान बरामद होने का आरोप है। तथ्य के साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 उपनिरीक्षक रमेश सिंह यादव व पी0डब्ल्यू0–2 विवेचक सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक शिवकुमार त्रिपाठी को परीक्षित कराया गया है, उसने अपने सशपथ बयान में इस बरामदगी का समर्थन किया है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि रासायनिक परीक्षण से बरामद वस्तु गांजा पायी गयी है। अभियुक्त के पास से गांजा की बरामदगी का आरोप सिद्ध हुआ है, अतः उसे दोषसिद्ध किया जाना चाहिए।

13. बचाव पक्ष की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा तथा गलत फंसाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में धारा–42, धारा–50, धारा–52 व धारा–57 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट का अनुपालन नहीं किया गया है, जबकि यह सभी प्रावधान आदेशात्मक हैं और इनका अनुपालन किया जाना होता है। अभियोजन कथानक को गलत एवं झूठा बरामदगी होना, झूठा बयान देना तथा झूठा मुकदमा दर्ज कर, झूठे प्रपत्र तैयार किया जाना कहा गया अपने विरुद्ध मुकदमा झूठा एवं गलत चलना कहा गया, सफाई साक्ष्य देने से इनकार किया तथा अतिरिक्त कथन में कहा है कि मैं निर्दोष हूं।

14. प्रकरण में यह विनिश्चित किया जाना है कि क्या दिनांक 25.10.2022 को समय 10.00 बजे स्थान बंधा मोड़ के पास बहद ग्राम रैपुरा अन्तर्गत थाना रैपुरा, जनपद चित्रकूट
में अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर की तलाशी पुलिस द्वारा लिये जाने पर अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर के कब्जे से दाहिने हाथ में लिये झोले से 01 किलो 600 ग्राम गांजा था बरामद हुआ, जिसे रखने का कोई प्राधिकार–पत्र अभियुक्त नहीं दिखा सका? क्या अभियुक्त ने धारा–08 / 20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया?

15. अभियोजन साक्षियों द्वारा किये गये कथन निम्नवत् हैः–

16. **पी0डब्ल्यू0–1 उपनिरीक्षक रमेश सिंह यादव** ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कथन किया है कि दिनांक 25.10.2022 को मै हमराह कां० दीपक श्रीवास्तव व कां० नन्दलाल के

साथ मय सरकारी वाहन व चालक के रपट सं०–9 समय 07.48 सुबह थाना हाजा से रवाना होकर तलाश वांछित अपराधी व शांति व्यवस्था देखभाल क्षेत्र में बांधी तिराहे पर मौजूद था। जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति हांथ में थैला लिये संदिग्ध वस्तु लेकर आ रहा है जल्दी किया तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके हमलोग आपस मे जामा तलाशी ले देकर इत्मिनान किया कि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं है। हम लोग मुखबिर के बताये स्थान की ओर चल दिये जैसे ही हम लोग जीप से बंधा मोड़ पहुंचे तो एक व्यक्ति अपने हांथ मे थैला लिये पैदल आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही पुलिस जीप को देखा पीछे मुड़कर जाने लगा। तेजी से उसके बगल में पहुंच कर उसे रोका और टोका गया और नाम पता व भागने का कारण पूंछा गया तो अपना नाम राजा उर्फ जागेश्वर पुत्र देशराज निवासी बंधा मोड़ थाना रैपुरा बताया और बताया कि मेरे थैले में गांजा है इसीलिए मैं आप लोगों को देखकर भाग रहा था। अभियुक्त के पास गांजा होने की जानकारी होने पर मेरे द्वारा उसको बताया गया कि तुम्हारे पास गांजा है। धारा 50 N.D.P.S एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत तुम्हें अधिकार है कि तुम अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष करा सकते हो। जिस पर पकड़े गये अभियुक्त द्वारा कहा गया कि आप ने पकड़ लिया है तो आप ही हमारी तलाशी ले लीजिए। मैं हस्ताक्षर भर बना पाता हूँ आप सहमति पत्र लिख दीजिये मैं हस्ताक्षर करने को तैयार हूँ। अभियुक्त के बोलने पर सहमति पत्र तैयार कर जिस पर अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर बना कर दिया गया। इसके पश्चात अभियुक्त के थैले की तलाशी ली गयी तो थैले में सूखा गांजा बरामद हुआ। कां० नन्दलाल को भेज कर तराजू बाट मंगाकर बरामद गांजे की तौल की गयी तो कुल वजन 01 किलो 500 ग्राम पाया गया। जिसमें से बतौर नमूना 100 ग्राम अलग निकालकर सफेद कपडे मे रखकर सील सर्वमोहर किया गया। तथा शेष गांजे को उसी थैले में रखकर सफेद कपडे मे सील सर्वमोहर किया गया। तथा नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द व गिरफ्तारी मेमो मौके पर मेरे द्वारा लिखकर पढ़कर हमराहीगण व अभियुक्त को सुनाकर अभियुक्त व हमराहीगण के हस्ताक्षर बनवाये गये। अभियुक्त के द्वारा बताये गये मोबाइल नम्बर पर अभियुक्त के परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गयी। कार्यवाही के दौरान आ जा रहे लोगों से गवाही के लिए कहा गया तो भलाई बुराई के डर से कोई तैयार नहीं हुआ। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी। अभियुक्त से बरामद गांजा व नमूना गांजा दो बंडलों मे सर्वसील मोहर आज न्यायालय में मेरे समक्ष साक्षी द्वारा सर्वसील मोहर की तस्दीक की गयी। माल को न्यायालय की अनुमति से खोला गया जिसे देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही गांजा है जो अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर से बरामद हुआ था। गांजा में **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया व नमूना मे **वस्तु प्रदर्श–2** डाला गया साक्षी द्वारा पत्रावली में संलग्न कागज सं०–5क फर्द अपने लेख मे व हस्ताक्षर होने की पुष्टि की जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। साक्षी द्वारा पत्रावली में संलग्न कागज सं०–15ख/11 गिरफ्तारी मेमो में अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया है।

दिनांकः–12.08.2026

(राहुल मिश्रा)
विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0ऐक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2726

17. पी0डब्ल्यू0–2 विवेचक सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक शिवकुमार त्रिपाठी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कथन किया है कि मैं दिनांक 25.10.2022 को थाना रैपुरा में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात व कार्यरत था। मुझे मु0अ0सं0 187/2022 अन्तर्गत धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट बनाम राजा उर्फ जागेश्वर, थाना रैपुरा की विवेचना प्रभारी निरीक्षक के आदेश से दिनांक 25.10.2022 को प्राप्त हुई थी। दिनांक 25.10.2022 को मेरे द्वारा पर्चा नं0 01 किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा फर्द बरामदगी, बयान एफ0आई0आर0 लेखक, बयान वादी उपनिरीक्षक रमेश सिंह यादव, बयान अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर अंकित किया गया तथा अभियुक्त के रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय में अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया। वादी मुकदमा ने बताया कि दिनांक 25.10.2022 को अभियुक्त उपरोक्त के हांथ में लिये थैले में से 1 किलो 600 ग्राम नाजायज सूखा गांजा बरामद किया गया था। दिनांक 14.11.2022 को मेरे द्वारा पर्चा नं0 03 किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा बयान फर्द गवाह का0 दीपक श्रीवास्तव, का० नन्दलाल, का बयान अंकित किया गया तथा वादी मुकदमा उपरोक्त की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया व मौके पर नक्शानजरी तैयार किया गया। दिनांक 17.11.2022 को मेरे द्वारा पर्चा नं0 04 किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रयागराज में अभियुक्त उपरोक्त से बरामद माल गांजा को परीक्षण हेतु कांस्टेबल आकाश पटेल के माध्यम से भेजा गया। बयान वादी, बयान फर्द गवाह, निरीक्षण घटनास्थल, तमामी विवेचना अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के अन्तर्गत पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर माननीय न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 11क नक्शानजरी मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज सं0–03क/1 लगयात 3क/4 आरोप पत्र, मेरे द्वारा तैयार किया गया है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 18क/2 वि० वि० प्रयोगशाला प्रयागराज की आख्या संलग्न है, जिस पर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर के हस्ताक्षर मौजूद हैं जिसकी मै पहचान व पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।

18. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) एवं अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

19. अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 25.10.2022 को उपनिरीक्षक रमेश सिंह यादव अपने हमराह के साथ जीप सरकारी नम्बर यू0पी0–96जी0–0101 से देखभाल क्षेत्र शान्ति व्यवस्था हेतु रपट नम्बर–9, समय 7.48 बजे, दिनांक 25.10.2022 को रवाना हुये थे, बंधा तिराहे पर जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक थैले में अवैध गांजा लेकर गुनता बंधा रोड से पैदल–पैदल बंधा मोड़ रैपुरा की तरफ आ रहा है, इस सूचना पर विश्वास करके सभी पुलिस वाले जीप से बंधा मोड़ पहुंचे, एक व्यक्ति अपने हाथ में थैले लिये

पैदल आता हुआ दिखाई पड़ा और पुलिस जीप को देखकर पीछे मुड़कर जाने लगा तो पुलिस वालों ने उसके पास पहुंचकर पीछे मुड़कर जाने का कारण पूछा और नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजा उर्फ जागेश्वर पुत्र देशराज उम्र करीब 28 वर्ष निवासी बंधा मोड़ रैपुरा, थाना रैपुरा, जनपद चित्रकूट बताया और यह भी बताया कि उसके पास गांजा था इसलिये पुलिस को देखकर जाने लगा। इस जानकारी के बाद पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और बताया कि तुम्हारी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष होगी, इंतजार करना होगा, इस पर पकड़े गये व्यक्ति राजा उर्फ जागेश्वर ने पुलिस वालों से स्वयं की तलाशी लेने के लिये कहा और सहमति पत्र पर अपने हस्ताक्षर बनाये, इसके बाद राजा उर्फ जागेश्वर की तलाशी में दाहिने हाथ में लिये थैले में सूखा गांजा बरामद हुआ, गांजे की तौल की गयी तो वह एक किलो 600 ग्राम निकला। उक्त गांजे को अपने कब्जे में रखने के लिये राजा उर्फ जागेश्वर से विधिक प्रपत्र मांगा गया तो वह दिखाने में कासिर रहा। अतः अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताया गया, बरामद माल कब्जा पुलिस में लिया गया, बरामद माल में से 100 ग्राम नमूना पृथक किया गया तथा सील सर्व मोहर किया गया और शेष एक किलो 500 ग्राम बरामद गांजा सील सर्व मोहर किया गया। उक्त घटनाक्रम की फर्द तैयार की गयी, फर्द बरामदगी दिनांकित 25.10.2025, एक किलो 600 ग्राम सूखा अवैध गांजा व गिरफ्तारी एक नफर अभियुक्त नाम राजा उर्फ जागेश्वर के आधार पर थाना रैपुरा, जनपद चित्रकूट में रोजनामचा संख्या–19, समय 12.16 बजे दिनांक 25.10.2022, जी0डी0 कायमी दर्ज की गयी तथा अवैध गांजा एक किलो 600 ग्राम गांजे की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर के विरूद्ध धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 का मुकदमा दर्ज किया गया। प्रकरण में विवेचक नियुक्त हुये विवेचक द्वारा वादी मुकदमा की निशानदेही पर घ टनास्थल का नक्शानजरी तैयार किया गया तथा सी0डी0 में कुल चार पर्चे किता करते हुये अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर के विरूद्ध धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का आरोप पत्र प्रेषित करने की संस्तुति की गयी, जिसके अनुक्रम में राजा उर्फ जागेश्वर के विरूद्ध धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 का आरोप पत्र संख्या–128/2022, थाना रैपुरा, जनपद चित्रकूट में पदस्थ उपनिरीक्षक शिव कुमार त्रिपाठी द्वारा दाखिल किया गया। उक्त आरोप पत्र पर दिनांक 15.12.2022 को तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर के विरूद्ध दिनांक 03.01.2023 को धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 का आरोप पत्र निर्मित किया गया। अभियुक्त द्वारा अभियोजन द्वारा दो गवाहों को परीक्षित कराया गया है, जिसमें साक्षी संख्या–01 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक रमेश सिंह यादव हैं, जिनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में फर्द बरामदगी अवैध गांजा एक किलो 600 ग्राम को प्रदर्श क–1 से प्रदर्शित किया है तथा अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि दिनांक 25.10.2022 को मै हमराह कां० दीपक श्रीवास्तव व कां० नन्दलाल के साथ मय सरकारी वाहन व चालक के रपट सं०–9 समय 07.48 सुबह थाना हाजा से रवाना होकर तलाश वांछित अपराधी व शांति व्यवस्था देखभाल क्षेत्र में बांधी तिराहे पर मौजूद था। जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक

व्यक्ति हांथ में थैला लिये संदिग्ध वस्तु लेकर आ रहा है जल्दी किया तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके हमलोग आपस मे जामा तलाशी ले देकर इत्मिनान किया कि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं है। हम लोग मुखबिर के बताये स्थान की ओर चल दिये जैसे ही हम लोग जीप से बंधा मोड़ पहुंचे तो एक व्यक्ति अपने हांथ मे थैला लिये पैदल आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही पुलिस जीप को देखा पीछे मुड़कर जाने लगा। तेजी से उसके बगल में पहुंच कर उसे रोका और टोका गया और नाम पता व भागने का कारण पूंछा गया तो अपना नाम राजा उर्फ जागेश्वर पुत्र देशराज निवासी बंधा मोड़ थाना रैपुरा बताया और बताया कि मेरे थैले में गांजा है इसीलिए मैं आप लोगों को देखकर भाग रहा था। अभियुक्त के पास गांजा होने की जानकारी होने पर मेरे द्वारा उसको बताया गया कि तुम्हारे पास गांजा है। धारा 50 N.D.P.S एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत तुम्हें अधिकार है कि तुम अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी / मजिस्ट्रेट के समक्ष करा सकते हो। जिस पर पकड़े गये अभियुक्त द्वारा कहा गया कि आप ने पकड़ लिया है तो आप ही हमारी तलाशी ले लीजिए। मैं हस्ताक्षर भर बना पाता हूँ आप सहमति पत्र लिख दीजिये मैं हस्ताक्षर करने को तैयार हूँ। अभियुक्त के बोलने पर सहमति पत्र तैयार कर जिस पर अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर बना कर दिया गया। इसके पश्चात अभियुक्त के थैले की तलाशी ली गयी तो थैले में सूखा गांजा बरामद हुआ। कां० नन्दलाल को भेज कर तराजू बाट मंगाकर बरामद गांजे की तौल की गयी तो कुल वजन 01 किलो 500 ग्राम पाया गया। जिसमें से बतौर नमूना 100 ग्राम अलग निकालकर सफेद कपडे मे रखकर सील सर्वमोहर किया गया। तथा शेष गांजे को उसी थैले में रखकर सफेद कपडे मे सील सर्वमोहर किया गया। तथा नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द व गिरफ्तारी मेमो मौके पर मेरे द्वारा लिखकर पढ़कर हमराहीगण व अभियुक्त को सुनाकर अभियुक्त व हमराहीगण के हस्ताक्षर बनवाये गये। अभियुक्त के द्वारा बताये गये मोबाइल नम्बर पर अभियुक्त के परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गयी। कार्यवाही के दौरान आ जा रहे लोगों से गवाही के लिए कहा गया तो भलाई बुराई के डर से कोई तैयार नहीं हुआ। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी। अभियुक्त से बरामद गांजा व नमूना गांजा दो बंडलों मे सर्वसील मोहर आज न्यायालय में मेरे समक्ष साक्षी द्वारा सर्वसील मोहर की तस्दीक की गयी। माल को न्यायालय की अनुमति से खोला गया जिसे देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही गांजा है जो अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर से बरामद हुआ था। गांजा में **वस्तु प्रदर्श—1** डाला गया व नमूना मे **वस्तु प्रदर्श—2** डाला गया साक्षी द्वारा पत्रावली में संलग्न कागज सं०—5क फर्द अपने लेख मे व हस्ताक्षर होने की पुष्टि की जिस पर **प्रदर्श क—1** डाला गया। साक्षी द्वारा पत्रावली में संलग्न कागज सं०—15ख / 11 गिरफ्तारी मेमो में अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। जिस पर **प्रदर्श क—2** डाला गया है तथा इस साक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षा दिनांकित 05.03.2024 में कथन किया गया है कि घटनास्थल पर केवल अभियुक्त था, जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो अभियुक्त बंधा मोड़ की तरफ आ रहा था, बंधा मोड़ की ओर डामरी रोड है, बंधा मोड़ एक तिराहा है, बंधा मोड़ पर जब हम पहुंचे थे तो अभियुक्त की दूरी

दक्षिण दिशा में 300 मीटर थी। हम लोग अपनी गाड़ी दक्षिण दिशा की ओर मोड़कर जाने लगे, जैसे हम लोग अपनी गाड़ी दक्षिण दिशा की ओर मोड़ा तो अभियुक्त अपनी ओर आता देखकर भागने लगा, तभी हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी करके सभी एक साथ उतरकर उसको पकड़ने के लिये दौड़े, हमारे द्वारा अभियुक्त को रोका टोका गया तो अभियुक्त रूक गया हम लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि अभियुक्त यही है, सिर्फ मुखबिर के बताये अनुसार हुलिया देखकर हम लोग समझ गये थे कि यही अभियुक्त है। अभियुक्त को जब हम लोगों ने पकड़ा उसके पास से प्लास्टिक का थैला मिला था, जिसमें गांजा भरा था। मैं गांजा नहीं पीता साक्षी संख्या–01 द्वारा प्रतिपरीक्षा में किये गये उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि उसके द्वारा घटना का विस्तृत विवरण अपने न्यायालीय कथन में बताया गया है कि प्रतिपरीक्षा दिनांकित 05.03.2024 में साक्षी संख्या–01 उपनिरीक्षक रमेश सिंह यादव से प्रश्न किया गया।

प्रश्न– साक्ष्य के दौरान सैम्पल माल जो 100 ग्राम बंडल में है तथा बडा बंडल जो माल 01 किलो 500 ग्राम का है दोनो बंडल को खोलकर देखा गया तो नमूना बंडल मे कलीदार व काले रंग का गांजा है। दूसरे बंडल मे खोलकर देखा गया तो उसमे भूडादार हरी पत्ती का माल पाया गया।

उत्तर– सम्पूर्ण माल 01 किलो 600 ग्राम मे से ही 100 ग्राम बतौर नमूना निकाला गया है 100 ग्राम बंडल टाइट बंधा है इसलिए गांजा ज्यो का त्यों पड़ा है तथा बड़ा बंडल बड़ा होने के कारण कुछ ढीला है इसलिए कई बार उठाने ले जाने ले आने में कुछ टुकड़े हुये। दोनों गांजा एक ही है। इससे स्पष्ट है क साक्षी द्वारा नमूना माल के बण्डल और शेष बरामद माल के बण्डल में जो भिन्नता साबित करने का प्रयास अभियुक्त द्वारा किया गया, लेकिन साक्षी संख्या–01 द्वारा अपने उत्तर के जरिये यह स्पष्ट कथन किया गया है कि नमूना गांजा के बण्डल में मिश्रित गांजा और दूसरे बण्डल में स्थित गांजा दोनों एक ही हैं। यद्यपि अपने मुख्य परीक्षा में साक्षी संख्या–01 द्वारा बरामद गांजे की मात्रा एक किलो 500 ग्राम बतायी गयी है, लेकिन प्रतिपरीक्षा में उसके द्वारा बरामद गांजे की मात्रा एक किलो 600 ग्राम बतायी गयी है और फर्द प्रदर्श क–1 के अनुसार एक किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ है।

20. साक्षी संख्या–02 शिव कुमार त्रिपाठी द्वारा विवेचना के तथ्यों को प्रमाणित करते हुये नक्शा नजरी को प्रदर्श क–3, आरोप पत्र को प्रदर्श क–4 व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को प्रदर्श क–5 से प्रदर्शित किया गया है, अपने प्रतिपरीक्षण दिनांकित 06.11.2025 में साक्षी संख्या–02 द्वारा यह कथन किया गया है कि घटना का निरीक्षण मैं मौके पर जाकर किया था, मैं अपने साथ में वादी उपनिरीक्षक रमेश सिंह यादव को घटनास्थल की निरीक्षण में लेकर गया था। घटनास्थल बंधा मोड़ तिराहे पर थी, इससे स्पष्ट है कि साक्षी संख्या–02 द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–3 तैयार किया गया। इस साक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षा दिनांकित 06.11.2025 में यह भी कथन किया गया है कि दौरान विवेचना मैंने माल देखा था जब मेरे द्वारा परीक्षण में भेजा गया था, मैंने करीब एफ0आई0आर0 दर्ज होने के 30–35 दिन नहीं मिला को देखा था, उस समय माल दो

बण्डल में था जब मेरे द्वारा माल देखा गया एक बण्डल में 100 ग्राम था, जो नमूना के लिये रखा गया था और एक बण्डल अलग था, जिसका वजन मुझे याद नहीं है। मैंने दोनों बण्डलों को खोलकर चेक नहीं किया था यह साक्षी माल खाने में रखे माल को देखने माल दो बण्डलों में होने, जिसमें से नमूना बण्डल 100 ग्राम का होने के तथ्य को प्रमाणित करता है तथा निष्पक्ष रूप से यह बताता है कि इस साक्षी ने बण्डलों को खोलकर चेक नहीं कया था क्योंकि बण्डलों को खोलकर के चेक करने का दायित्व विवेचक का नहीं है और यदि विवेचक बण्डलों को खोलकर चेक करता है तो ऐसी स्थिति में नमूना परीक्षण के लिये वही माल भेजा गया, जो सील बन्द किया गया था, इस प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न होता है। अतः साक्षी संख्या–02 शिव कुमार त्रिपाठी द्वारा प्रतिपरीक्षा दिनांकित 06.11.2025 में किया गया कथन कि मैंने बण्डलों को खोलकर चेक नहीं किया था, विधिक रूप से सही है। विधि विज्ञान प्रयोगशाल की रिपोर्ट कागज संख्या–18क / 2 प्रदर्श क–5 है, जिसके तथ्य निम्नलिखित है।

प्रेषक,

उपनिदेशक,
विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ0प्र0,
फाफामऊ प्रयागराज।

सेवा में,

क्षेत्राधिकारी–राजापुर
जनपद चित्रकूट।

पत्रांकः 1345–केम–2022

अपराध संख्याः 187 / 2022

धाराः 08 / 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

आपका पत्र संख्या–निल, दिनांक निल, जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शों / प्रलेखों के बारे में रिपोर्ट मांगी गयी है, वही नीचे दी जा रही है।

<u>प्रदर्श</u>

एक वस्त्रावृत समुद्रित (सिग्नेचर एस0आई यू0पी0पी0 मुद्रानमूनानुसार) बण्डल, जिसमें निम्नलिखित वस्तु थी, दिनांक 04.11.2022 को प्राप्त हुई।

संदिग्ध गांजा मात्रा 100 गाम, पोलीथीन में।

<u>परिणाम</u>

पोलीथीन की अन्तर्वस्तु विश्लेषण द्वारा गांजा पायी गयी।

भौतिक व रासायनिक विधियां प्रयोग की गयी।

21. थैला, ब्रीफकेश और आधान की तलाशी व्यक्तिगत तलाशी के समान नहीं है (स्टेट आफ एच.पी. बनाम पवन कुमार, 2005 (2) क्राइम्स 87, स्टेट आफ राजस्थान बनाम दौलत राम, 2005 (3) क्राइम्स 260 : 2005 क्रि.लॉ.ज. 4117 : 2005 (7) एस.सी.सी. 36 : जे.टी. 2005 (8) एस.सी. 82 और स्टेट आफ पंजाब बनाम बलवन्त राय, 2005 (1) क्राइम्स 355 : ए.आई.

आर. 2005 (एस.सी.) 1576 : 2005 (3) एस.सी.सी. 1641) इस प्रकरण में अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर से दाहिने हाथ में लिये थैले से एक किलो 600 गाम सूखा गांजा बरामद हुआ था।

22. उक्त के अनुसार परीक्षण हेतु भेजे गये नमूने में गांजा की मात्रा पाई गयी। साक्षी संख्या–01 और 02 की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि अभियोजन कथानक पर युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करता है। अतः उपरोक्त कारणों से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है। कि दिनांक 25.10.2022 को समय 10.00 बजे स्थान बंधा मोड़ के पास बहद ग्राम रैपुरा, थाना रैपुरा, जिला चित्रकूट में अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर से दाहिने हाथ में लिये झोले से 01 किलो 600 ग्राम नाजायज गांजा अवैध बरामद हुआ।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या 743/2022, मुकदमा अपराध संख्या 187/2022 धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना रैपुरा, जिला चित्रकूट के मामले में अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर को धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 के अन्तर्गत **दोषसिद्ध** किया जाता है।

अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर प्रस्तुत मामले में जमानत पर है। उसके जमानतनामें एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदार को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

दोषसिद्ध अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर को दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांकः–12.08.2026

(राहुल मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–1, चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2726

UPCH010036792022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0ऐक्ट/,
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, चित्रकूट ।
उपस्थितः–राहुल मिश्रा........एच0जे0एस0 (जे0ओ0कोड–यू0पी0 2726)

सत्र परीक्षण सं0–743/2022
उ0प्र0राज्य।

..........................अभियोजन

बनाम

राजा उर्फ जागेश्वर पुत्र देशराज निवासी बंधामोड़ रैपुरा, थाना रैपुरा, जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

..........................अभियुक्त

अन्तर्गत धारा–08/20 स्वापक औषधि
एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम।
थाना–रैपुरा, जनपद चित्रकूट।
अपराध संख्या–187/2022

भोजनावकाश के पश्चात दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त को 01 किलो 600 गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है और यह गांजा देश के युवा पीढ़ी के लिये संकट के समान है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त कोई अभ्यासित अपराधी नहीं हैं। यद्यपि पुलिस ने अभियुक्त के पास से गांजे की बरामदगी दिखायी है, लेकिन अभियुक्त में सुधार की संभावना है। अतः उपरोक्त कारणों से अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर के पास से 01 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। उक्त गांज अवश्य ही अवैध रूप से बिक्रय किया जाता और जिसकी चपेट में समाज के प्रत्येक पीढ़ी आती। अतः उपरोक्त कारणों से अभियुक्त को दौरान विचारण जेल में अभिरक्षा में बिताई गयी अवधि तथा 1600/–रूपये (सोलह सौ रूपये) के जुर्माने से दण्डित करना न्यायोचित होगा।

दिनांकः–12.08.2026

(राहुल मिश्रा)
विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0ऐक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2726

दण्डादेश

कार्यालय जेल अधीक्षक जिला कारागार चित्रकूट 210205 के पत्रांक संख्या–1615 / यू0टी0 / 2026, अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर पुत्र देशराज, निवासी बंधा मोड़, थाना रैपुरा, जनपद चित्रकूट। सत्र परीक्षण सं0–743 / 2022, अपराध संख्या 187 / 2022, धारा 08 / 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना रैपुरा, जनपद चित्रकूट में दिनांक 25.10.2022 से दिनांक 14.02.2023 तक जिला कारागार में निरूद्ध था। अतः अभियुक्त राजा उर्फ जागेश्वर को सत्र परीक्षण संख्या 743 / 2022, मु0अ0सं0 187 / 2022, धारा 08 / 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना रैपुरा, जनपद चित्रकूट में जेल में बितायी गयी अवधि दिनांक 25.10.2022 से दिनांक 14.02.2023 तक के कारावास से दण्डित किया जाता है तथा 1600 / –रूपये (सोलह सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि का भुगतान न किये जाने पर 10 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दोषसिद्ध को सजा के अधिपत्र के साथ दण्डादेश भुगतने हेतु जिला कारागार चित्रकूट भेजा जाये।

अभियुक्त को धारा 428 दं0प्र0सं0 का लाभ प्राप्त होगा।

माल मुकदमाती वस्तु प्रदर्शों को बाद मियाद अपील, अपील न होने की स्थिति में नियमानुसार निस्तारित किया जाये। अपील होने की दशा में उक्त माल मुकदमाती का निस्तारण माननीय अपीलीय न्यायालय के अधीन होगा।

इस निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट को भी प्रेषित की जाये।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–12.08.2026

(राहुल मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–1, चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2726

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः–12.08.2026

(राहुल मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–1, चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2726